

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2025 -26/ 4270

दिनांक- 10/03/2026

निमित्त:

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में
Proposal no.FP/RJ/ROAD/34657/2018 (1.872 ha)

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक 1486
दिनांक 24.02.2026 एवं अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद
के पत्र क्रमांक 2218 दिनांक 06.03.2026 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक 1486 दिनांक 24.02.2026 द्वारा चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की अभिशंघा/टिप्पणी निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन की गई है। जिसके क्रम में यूजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 2218 दिनांक 06.03.2026 को बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अंडरटैकिंग सहित प्रेषित करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट संलग्न प्रेषित है।

क. सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	बिन्दुवार शर्तों की पालना रिपोर्ट का विवरण
1	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2% RPACS में जमा करायी जावे।	शर्त सं. 1 की अनुपालना में चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2% RPACS में जमा करा दी जावेगी। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गई अंडरटैकिंग संलग्न प्रेषित है।
2	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में प्रबंध योजना के अनुसार संबंधित उप वन संरक्षक से परामर्श कर वाटर होल्स का निर्माण कराया जावे।	शर्त सं. 2 की अनुपालना में चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में प्रबंध योजना के अनुसार संबंधित उप वन संरक्षक से परामर्श कर वाटर होल्स का निर्माण करा दिया जावेगा। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गई अंडरटैकिंग संलग्न प्रेषित है।
3	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगाये जावे।	शर्त सं. 3 की अनुपालना में चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगा दिये जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा

		दी गई अंडरटैकिंग संलग्न प्रेषित है।
4	शाहबाद तलहटी कन्जर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्य कराये जावे।	शर्त सं. 4 की अनुपालना में चोराखेडी से नया गांव वाया महेशपुरा सडक निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा शाहबाद तलहटी कन्जर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्य करवा दिये जायेंगे। इस संबंध में यूजर एजेन्सी द्वारा दी गई अंडरटैकिंग संलग्न प्रेषित है।


 (बडे विवेकानंद माणिकराव)
 उप वन संरक्षक
 बारां

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2025 -26 /

दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राज 0 जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज 0 जयपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।


 (बडे विवेकानंद माणिकराव)
 उप वन संरक्षक
 बारां

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, शाहबाद

क्र.सं. 22/18

दिनांक :- 06-03-2026



वन संरक्षण अधिकारी

Construction of Road from Chorakheri to Nayagaon Via Maheshpur

Proposal No. FP/RJ/ROAD/34657/2018 (1.872 Ha.) प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रविष्टाधिकार कार. महेशपुर के पत्र क्रमांक 1489 दिनांक 24.02.2026 के क्रम में एवं उपवन संरक्षक का पत्र क्रमांक 3546 दिनांक 27.02.2026 के क्रम

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयवर्तित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में Diversion of 1.872 ha. of forest land for Construction of Road from Chorakheri to Nayagaon Via Maheshpur निर्माण हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु विन्दुवार सुझाव पालना रिपोर्ट निम्नादृश है।

शर्त संख्या	विन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट का विवरण
I. General Condition		
1	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहेटी कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2% RPACS में जमा कराई जावे।	शर्त सं. 1 की अनुपालना में चौड़ाखेड़ी से नयागाँव वाया महेशपुर सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहेटी कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2% RPACS जमा कर दी जायेगी।
2	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहेटी कंजर्वेशन रिजर्व में प्रववा योजना के अनुसार संबंधित उप वन संरक्षक से परामर्श कर वाटर होल्स का निर्माण कराया जावे।	शर्त सं. 2 की अनुपालना में चौड़ाखेड़ी से नयागाँव वाया महेशपुर सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त उप वन संरक्षक से परामर्श कर यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहेटी कंजर्वेशन रिजर्व में वाटर होल्स बना दिये जायेंगे।
3	वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहेटी कंजर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्ताराल पर साईन बोर्ड लगाये जावे।	शर्त सं. 3 की अनुपालना में चौड़ाखेड़ी से नयागाँव वाया महेशपुर सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहेटी कंजर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्ताराल पर साईन बोर्ड लगा दिये जायेंगे।
4	शाहबाद तलहेटी कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्य कराये जावे।	शर्त सं. 4 की अनुपालना में चौड़ाखेड़ी से नयागाँव वाया महेशपुर सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा उपयोगकर्ता एजेन्सी द्वारा वन्य वन विभाग के परामर्श से परियोजना लागत पर आदरयकता होने पर व्यापक मृदा संरक्षण एवं जल संरक्षण का उपाय करेगी इस योजना चरण की अनुपालन रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

WOC
10/3
24/26

(बरान्त कुमार गुप्ता)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

क्रमांक : 22/8

दिनांक : 06-03-2026

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road from Chorakheri to Nayagaon Via Maheshpur
(FP/RJ/ROAD/34657/2018)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में चौड़ाखेड़ी से नयागाँव वाया महेशपुर सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहेटी कंजर्वेशन रिजर्व में आनुपातिक परियोजना राशि नियमानुसार 2% RPACS जमा करा दी जावेगी।

CS


(बडे विवेकानन्द माणिकराव)
उप वन संरक्षक
बाराँ


(बसन्त कुमार गुप्ता)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

क्रमांक : 22/8

दिनांक : 06-03-2026

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road from Chorakheri to Nayagaon Via Maheshpur
(FP/RJ/ROAD/34657/2018)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त
श. 2 की अनुपालना में चौड़ाखेड़ी से नयागाँव वाया महेशपुर सड़क निर्माण के क्षेत्र
हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त उप वन
संरक्षक से परामर्श कर यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु
शाहबाद तलहेटी कंजर्वेशन रिजर्व में वाटर हाल बना दिये जायेंगे।

CS


(बडे विवेकानन्द माणिकराम)
उप वन संरक्षक
बारा


(बसन्त कुमार गुप्ता)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

क्रमांक : 22/8

दिनांक : 06-03-2026

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road from Chorakheri to Nayagaon Via Maheshpur
(FP/RJ/ROAD/34657/2018)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की अनुपालना में चौड़ाखेड़ी से नयागाँव वाया महेशपुर सड़क निर्माण के क्षेत्र हेतु वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु शाहबाद तलहेटी कन्जर्वेशन रिजर्व में आने वाले क्षेत्र में निश्चित अन्तराल पर साईन बोर्ड लगा दिये जायेंगे।

CS


(बडे विवेकानन्द माणिकराव)
उप वन संरक्षक
बारी


(बसन्त कुमार गुप्ता)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहबाद

श्री
उप वन संरक्षक
(बड़े सिविल इंजीनियरिंग विभाग)


CS

(बसन्त कुमार गुप्ता)
अधिसूचना अधिकारी
सा.नि.वि. खण्ड शाहवाड़



जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त
सं. 4 की अनुपालना में बौद्धाखंडी से नयागाँव बाया महेशपुर सड़क निर्माण के क्षेत्र
हैव वन भूमि की प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरान्त पूर्व
एन.सी द्वारा उपयोगकर्ता एन.सी द्वारा राज्य वन विभाग के परामर्श से परियोजना
लगत पर आवश्यकता होने पर व्यापक मूला संरक्षण एवं वन संरक्षण का उपाय
करनेगी इस योजना वरण की अनुपालन रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत कर दी

कार्य का नाम :- Construction of Road from Chorakheri to Nayagaon Via Maheshpur
(FP/RJ/ROAD/34657/2018)

अधिसूचित सारणी (अन्वयिका)

क्रमांक : 22/18

दिनांक : 06-03-2025

कार्यालय अधिसूचना अधिकारी सा.नि.वि. खण्ड शाहवाड़